न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 121/2018 (2018/00327) दिनांक 10.09.2018
अन्तर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

1. देऊ पुत्री किशना गाडरी निवासी तिरोली हाल निवास सुरावास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीया

बनाम

1. किशना आत्मज खुमाण गाडरी निवासी तिरोली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. कालुराम आत्मज वेनीराम उर्फ वेणा गाडरी निवासी तिरोली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर (भीलवाड़ा)।

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी: श्री एस0के0जैन
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 17.08.2020

प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या एक व दो एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य होकर इनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

पीथा आत्मज गोमा गाडरी सा0 तिरोली

पन्ना | खुमाण

खुमाण → वेनीराम उर्फ वेणा | किशना विपक्षी सं0 एक

वेनीराम उर्फ वेणा → कालुराम विपक्षी सं0 दो

किशना विपक्षी सं0 एक → देऊ प्रार्थीया

यह कि विपक्षी संख्या एक के [illegible] निम्न कृषि आराजियात राजस्व ग्राम तिरोली तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा [illegible] खाता संख्या 26 व 210 पर अंकित थी जिसका विवरण इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.07 12:16:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा
26	488	0.34 हे0
	504	0.17 हे0
	573	0.12 हे0
	622	0.09 हे0
	कुल किता – 4	योग रकबा 0.72 हे0
210	489	0.03 हे0
	577	0.07 हे0 गै0मु0 चाह
	619	0.05 हे0
	कुल किता – 3	योग रकबा 0.15 हे0

यह कि विपक्षी संख्या एक के नाम राजस्व खाता संख्या 26 में अंकित आराजियात तन्हा अभिलिखित थी तथा खता संख्या 210 पर अंकित उैत आराजियात में विपक्षी संख्या एक का 1/4 हिस्सा निहित था, जिसको विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.06.2018 के माध्यम से विक्रय कर दी। जिससे वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 26 व 210 में अंकित उक्त आराजियात विपक्षी संख्या दो के नाम वर्तमान में दर्ज अभिलेख है।

यह कि इसी प्रकार विपक्षी संख्या एक की पैतृक खातेदारी अधिकार की कृषि आराजियात राजस्व ग्राम भरक तहसील सहाडा जिला भीलवाडा के वर्तमान खाता संख्या 57 पर अंकित थी, जिसका विवरण इस प्रकार है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा
57	1961	0.38 हे0
	1963	0.29 हे0
	कुल किता – 2	योग रकबा 0.67 हे0

उक्त आराजियात विपक्षी संख्या एक के नाम तन्हा खातेदारी मे अभिलिखित थी, जिसको भी विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 13.06.2018 के माध्यम से विक्रय कर दी। जिससे वर्तमान राजस्व रेकार्ड में उक्त वर्णित आराजियात विपक्षी संख्या दो के नाम दर्ज अभिलेख है।

यह कि उक्तानुसार खाता संख्या 26, 210, 57 में वर्णित आराजियात गै0मु0 आराजी चाह पैतृक जायदाद होकर विपक्षी संख्या एक को विरासत से प्राप्त हुई है। जिससे प्रार्थीया विपक्षी संख्या एक की पुत्री होने से उक्त वर्णित आराजियात मय गै0मु0 आराजी चाह में प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या एक का समान हक व हिस्सा कानुन निहित था और वर्तमान में भी है लेकिन विपक्षी संख्या एक ने [illegible] आराजियात मय गै0मु0 आराजी चाह अपने नाम दर्ज अभिलेख हो[illegible] व हिस्से को भी बिना प्रार्थीया की सहमति के विक्रय क[illegible] संख्या एक को कानुनन अधिकार

2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.07 12:16:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्राप्त नहीं था फिर भी विपक्षी संख्या एक ने उक्त वर्णित आराजियात गै0मु0 आराजी चाह को लेकर जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 13.06.2018 विपक्षी संख्या दो के पक्ष में निष्पादित करवा दिये जो प्रार्थीया के निहित 1/2 हक व हिस्से तक प्रारम्भ से ही शुन्य हाकर अप्रभावी है। जिससे प्रार्थीया को उक्त दस्तावेज सक्षम न्यायालय में निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थीया उक्त वर्णित आराजियात मय गै0मु0 आराजी चाह में निहित अपने 1/2 हक व हिस्से को लेकर खातेदारी अधिकार की घोषणा कराने की अधिकारी है।

यह कि प्रार्थीया को उक्त वर्णित आराजियात गै0मु0 आराजी चाह को छोड़ कर जो राजस्व ग्राम तिरोली व भरक की सीमा में स्थित है में प्रार्थीया के निहित 1/2 हक व हिस्से की खातेदारी की घोषणा उपरान्त प्रार्थीया के निहित 1/2 हक व हिस्से को वाई मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर विभाजन विपक्षी संख्या तीन के माध्यम से करवा मौके पर स्वतंत्र आधिपत्य सिपुर्द कराया जावें।

यह कि प्रार्थीया ने उक्त वर्णित मय गै0मु0 आराजी चाह में निहित अपने 1/2 हक व हिस्से को विपक्षी संख्या दो से पुनः नाम दर्ज अभिलेख कराने बाबत् विपक्षी संख्या एक को कहा तो विपक्षी संख्या एक व दो ने मिलकर कहा तो प्रार्थीया के पक्ष में दर्ज अभिलेख कराने बाबत इन्कार कर दिया । जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक है।

विपक्षी संख्या एक व दो ने प्रार्थीया को यह धमकी दी कि उक्त वर्णित आराजियात में निहित अपने 1/2 हक व हिस्से को वह किसी भी किमत पर प्रार्थीया के नाम दर्ज अभिलेख नहीं करवायेगा साथ ही यह भी कहा कि वह अपने नाम दर्ज अभिलेख हक व हिस्से को किसी भी समय रहन, बय , बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तानान्तरित करने का अधिकार रखता है जिससे वह किसी भी समय उक्त कृत्य को अंजाम दे सकता है। जिसका उसको कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी वह उक्त कृत्य को करने पर आमादा है। जिससे विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक है।

यह कि उपरोक्त कारणों से प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा संतुलन का विन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में है उक्त वर्णित आराजियात मय गै0मु0 आराजी चाह पैतृक जायदाद होकर विपक्षी संख्या एक को विरासत से प्राप्त हुई है जिससे उक्त वर्णित आराजियात मय गै0मु0 आराजी चाह में मुझ प्रार्थीया का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। यदि विपक्षी संख्या एक व दो आपस में मिलकर प्रार्थीया के हक व हिस्से को अन्य को रहन, वय , वक्षीस या अन्य तरीके से किसी को भी हस्तान्तरित कर देते हैं तो प्रार्थीया को भारी अपूरणीय क्षति होगी । विपक्षी संख्या एक व दो को ... के हक व हिस्से को रहन, बय , बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित करने का ... जिसका उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी यदि विपक्षी संख्या ... उक्त कृत्य को अंजाम देने में सफल होता है तो प्रार्थी को भारी अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ेगा, जिसका आंकलन , मुल्यांकन में कदापित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.07 12:16:59 IST
Reason: SelfAttested

3.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

संभव नहीं है तथा पक्षकारान के मध्य कई तरह के वाद विवाद उत्पन्न हो जावेंगे। जिससे प्रार्थीया के पक्ष में विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि राजस्व ग्राम तिरोली के वर्तमान खाता संख्या 26 व 210 एवं ग्राम भरक के खाता संख्या 57 में अंकित वाद वर्णित आराजियात को विपक्षी संख्या एक व दो मिलकर किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तानान्तरित नहीं करें करावें तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.09.2018 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या एक व दो बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के **तीनों बिन्दुओं का विवेचन** किया गया जो इस प्रकार है:–

प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या एक व दो उक्त भूमि को अन्य को हस्तान्तरित कर देते है तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थीया अपने हक से महरूम हो जायेगी, इसके मुकाबले विपक्षी संख्या एक व दो को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया प्रकरण है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्राथीया के पक्ष में साबित होता है।

द्वितीय बिन्दु सुविधा का संतुलनः– चूंकि वाद वर्णित आराजियात में विरासत से प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा निहित है। अतः सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है।

तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षतिः– विर्णित आराजियात विपक्षी संख्या एक व दो के नाम दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा ऐसी कल्पना की हैं कि उक्त आराजियात विपक्षी संख्या एक व दो अन्य को हस्तान्तररित कर देंगे जिससे अपूरणीय क्षति होगी। अतः बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

–::आदेश::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु साबित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम तिरोली के वर्तमान खाता संख्या 26 व 210 एवं ग्राम भरक के खाता संख्या 57 में अंकित वाद वर्णित आराजियात को विपक्षी संख्या एक व दो मिलकर किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तानान्तरित नहीं करें करावें तथा राजस्व ताफैसला विपक्षी संख्या एक व दो राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आदेश दिनांक 17.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.07 12:16:59 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner